

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा Recruitment of Computer Operator Grade-A (2016) advertisement number PRPB-1-3(22)/2015 में उपरोक्त पद हेतु उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन हेतु क्रमागत अग्रिम कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश एवं प्रपत्र ।

INDEX

1. General Instructions.....1
2. Form format.....2-10
3. Sample form.....12-19



उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय,

पत्र सं०-टीएससी-62/2016

दिनांक:

कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए पर चयनित अभ्यर्थियों हेतु क्रमागत अग्रिम पुलिस वेरिफिकेशन कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश

अवगत कराना है की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सम्पादित की गयी Recruitment Computer Operator Grade-A (2016) advertisement number PRPB-1-3(22)/2015 के अनुसार आयोजित परीक्षा में कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड -ए पद पर चयन हेतु उत्तीर्ण घोषित किया गया है। नियमानुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का राज्य सेवा के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना क्रमागत संचालित कार्यवाही में आवश्यक है, साथ ही कतिपय विन्दुओं के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी लेना है।

२- उक्त कार्यवाही हेतु मेरिट में समस्त सफल अभ्यर्थी दिनांक 20 जनवरी 2017 को प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक 35 वीं वाहिनी पी ए सी ग्राउंड, निकट तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय, महानगर, लखनऊ उ०प्र० में निम्न अभिलेखों के साथ स्वयं उपस्थित होंगे।

१. पुलिस वेरिफिकेशन हेतु प्रपत्र में संलग्न सहपत्र १ एवं सहपत्र ३ स्वयं भरकर मूल रूप में हस्ताक्षरित एवं फोटो चस्पा सहित दो प्रतियों में।
२. संलग्न प्रारूपनुसार शपथ पत्र १० रुपया के स्टाम्प पेपर पर नोटरी के समक्ष हस्ताक्षरित।
३. स्वस्थता प्रमाण पत्र पर फोटो चस्पा एवं नाम व पिता का नाम लिखा जाए।
४. (शपथ पत्र एवं सहपत्र व अन्य फॉर्म उ०प्र० पुलिस वेबसाइट <https://uppolice.gov.in> के News & Events पर क्लिक कर प्राप्त किया जा सकता है)
५. यदि किसी कारण वश अभ्यर्थी उक्त तिथियों में नहीं पहुंच पते हैं वे आगामी कार्य दिवस में पुलिस तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय लखनऊ से संपर्क स्थापित कर कार्यवाही पूर्ण करा सकते हैं।
६. किसी भी जानकारी एवं मदद के लिए हेल्प लाइन नंबर 0522- 2334340 / 4943707 पर संपर्क करें।

नोट- समस्त प्रपत्रों को भरने हेतु पूर्व में भरे प्रपत्रों का सैंपल उपलब्ध है।
संलग्नक - यथोपरी।

अपर पुलिस महामिदेशक
उ०प्र० पुलिस तकनीकी सेवाएँ
लखनऊ

::शपथ-पत्र::

मैं अभ्यर्थी पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी
ग्राम/मोहल्ला.....पोस्टथाना.....जनपद.....शपथ पूर्वक ब्यान

करता /करती हूँ कि:-

- 1- यह कि मैं भारत का / की नागरिक हूँ
- 2- यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी दल/ संगठन का कभी सदस्य नहीं रहा/रही हूँ और न हूँ
- 3- यह कि मैंने कभी भी विध्वंसक कार्यों(संबर्सिव एक्टीविटी) में भाग नहीं लिया था।
- 4- यह कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/ मामला (हस्तक्षेपीय अथवा अहस्तक्षेपीय) न कभी पंजीकृत हुआ है और न ही कभी किसी ऐसे अपराधिक मामले में पुलिस ने चालान किया है तथा न ही मेरे विरुद्ध कोई विवेचना (पुलिस इन्वेस्टीगेशन) लम्बित है। (यदि कोई विवरण है तो उसका विस्तारपूर्वक अंकन करे)।
- 5- यह कि कभी भी मुझे अपराधिक मामले (हस्तक्षेपीय अथवा अहस्तक्षेपीय) में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही मैंने कभी किसी ऐसे अपराधिक मामले में न्यायालय में आत्म समर्पण किया है।
- 6- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध हुए हैं, या जिनमें मेरा चालान किया गया था, जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस है उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाया।
- 7- यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध न्यायालय में चले और जिनमें मैं दंडित हुआ/ हुई एवं दोषमुक्त हुआ/हुई हूँ, डिस्चार्ज हुआ/हुई उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाया।
- 8- यह कि मैं किसी अपराधिक मामले में धारा 169 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कभी रिहा नहीं हुआ/हुई हूँ अथवा जिनमें रिहा हुआ/ हुई उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाया।
- 9- यह कि मुझे भारत सरकार/ राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थान (पब्लिक इंटर प्राअजेज) व अण्डर टेकिंग संस्थान द्वारा उनकी सेवा से कभी सेवामुक्त(डिसमिस) नहीं किया गया।
- 10- यह कि आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता और जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र एवं आयु में छूट व आरक्षण का लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जो मेरे द्वारा संलग्न किये गये हैं पूर्णतया सही है।
- 11- यह कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए- के पद पर नियुक्ति हेतु एक अभ्यर्थी हूँ
- 12- यह कि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात असत्य पाई जाये अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो तो बिना शर्त सेवा से तुरन्त पृथक कर दिया जाये तथा वैधानिक दण्ड दिया जाये जो मुझे मान्य होगा।
- 13- (क)यह कि मैं अविवाहित/विधुर/विधवा हूँ
(ख)यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी/पति है।
(जो लागू हो उस पर टिक करें, यदि कोई विशेष अन्य विवरण हो तो उल्लेख करें।)
- 14- यह कि यदि शपथ-पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जायें तो भर्ती के लिए कोई दावा नहीं होगा और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई तथ्य गलत पाये जायें तो भी बिना शर्त उOप्रO पुलिस से पृथक कर दिया जाये तथा वैधानिक दण्ड दिया जाये जो मुझे मान्य होगा।

स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
अभिसाक्षी/ शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/ अभिसाक्षी सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ-पत्र की धारा 1 लगायत 14 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सही व सत्य है इसमें न कोई तथ्या छिपाया गया और न झूठ है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

आज दिनांक.....को.....में

अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

स्थान.....

दिनांक

हस्ताक्षर.....

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र इत्यादि के सत्यापन का प्रपत्र

निबन्ध

प्रिय महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है/कहना है कि जिस उम्मीदवार का विवरण नीचे दिया गया है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के विभाग में पद/पर नियुक्त होने के लिये एक उम्मीदवार है।

उम्मीदवार का विवरण

2- उपर्युक्त पद पर वास्तव में नियुक्त किये जाने के पहले उसके आचरण (Character) एवं प्रागवृत्ति (Antecedents) को सत्यापित करना आवश्यक है आपसे निवेदन यह है कि इस उम्मीदवार के आचरण एवं प्रागवृत्ति को दृष्टि में रखकर उपर्युक्त पद के लिये, उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नांकित को अपनी सम्मति देने की कृपा करें।

3- आपकी सम्मति के अनुसार उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन के रूप में कार्य करने के योग्य है, तो आप अपना प्रतिवेदन सीधे हमारे पास भेज दें। यदि आपके विचार से उम्मीदवार अयोग्य है तो आप अपना प्रतिवेदन जिलाधीश के द्वारा (Through) भेजने की कृपा करें। जिलाधीश उम्मीदवार को बुलाकर उसका बयान लेंगे और तब अपना विचार उम्मीदवार के बारे में, जैसा धारण करेंगे, लिखेंगे और उम्मीदवार के बयान को भी भेजने का कष्ट करेंगे।

4- आगे यह भी निवेदन है कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के आचरण के सम्बन्ध में निम्नांकित सामान्य नियम पर भी ध्यान दिया जाय।

सीधी नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का आचरण ऐसा होना चाहिये कि वह उस नौकरी या पद के लिये, जिस पर उसे नियुक्त करना है, सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस सम्बन्ध में अपने आपको सन्तुष्ट करे।

नोट :- (क) केवल सिद्धदोष ठहराया जाने के कारण ही अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। दोषसिद्ध की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये और यदि उम्मीदवार नैतिक दुराचार या हिंसात्मक अपराध या ऐसे आन्दोलन में भाग लेने का दोषी न ठहराया गया हो, जिसका उद्देश्य स्वतन्त्र भारत में अब कानून द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक उपायों द्वारा उलटता हो तो केवल दोषसिद्ध को अयोग्यता समझना आवश्यक नहीं है।

(ख) केवल राजनीतिक विचारों के ही कारण कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिये, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को जिनके बारे में यह सम्भावना हो कि वे राजद्रोही हो सकते हैं अथवा अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, नियुक्त नहीं करना चाहिये। साधारणतया वे व्यक्ति, जो विध्वंसकारी कार्यों में सक्रिय भाग ले रहे हों या ऐसी किसी संस्था के सदस्य हों, जिसके स्पष्ट उद्देश्य हिंसात्मक उपायों से समाज की वर्तमान व्यवस्था को बदलना हो, सरकार के अधीन किसी भी नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त समझे जायें। 21 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी समय अथवा जाँच प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के भीतर उक्त कार्य में भाग लेना इस बात का प्रमाण होगा कि वह व्यक्ति उक्त कार्यों में अभी भी सक्रिय भाग ले रहा है। सिवाय उस दृष्टि में जबकि इस बीच उसकी नियुक्ति को परिवर्तन होने के स्पष्ट प्रमाण न हो।

5- उत्तरदायी अधिकारी को चाहिये कि वह यह जानने के लिये संलग्न सहप्रपत्र-1 के सभी रिक्त स्थानों को ठीक-ठीक भर गया है या नहीं प्रार्थी से उक्त प्रश्न करें क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भूल से विलम्ब तथा पहचान में गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है।

जाँच करने वाले अधिकारी (Enquiry officer) को अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि उम्मीदवार की पहचान हो गई है और उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

6- कृपया उत्तर संलग्न प्रपत्र में भर कर भेजिये।

सेवा में,

भवदीय,

सेवा में,

प्रिय महोदय,

आपके पत्र संख्या दिनांक के सम्बन्ध में निम्नलिखित उम्मीदवार के आचरण एवं प्रागवृत्ति के विषय में अपना प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करता हूँ :-

१. उम्मीदवार का नाम

२. पिता का नाम

प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त उम्मीदवार का नैतिक आचरण अच्छा है और उसके विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुपयुक्त या अयोग्य ठहराया जा सकें

अथवा

मैं निम्नांकित उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन के लिए नियुक्त किये जाने के अयोग्य/अनुपयुक्त समझता हूँ।

कृपया कारण विस्तारपूर्वक तथा सप्रासंगिक ब्योरो के साथ दें।

भवदीय

जिलाधीश के विचार

मैं पुलिस अधीक्षक की सम्मति से सहमत/असहमत हूँ।

उम्मीदवार के बयान के प्रतिलिपि संलग्न है।

संलग्न

पुलिस अधीक्षक
दिनांक

भवदीय

जिलाधीश,

जिला

सहपत्र-1

सत्यापन पंजी (Verification Roll) का पत्र

अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति अधिकारी द्वारा जाँच करने वाले अधिकारी के पास भेजा जाने वाला

विवरण-प्रपत्र

- 1- पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो
- 2- पिता का पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो, और पद का नाम, किसी नौकरी में हों

- 3- निम्नांकित की राष्ट्रीयता :-

पिता

माता


पति

पत्नी

निम्नांकित का जन्म-स्थान :-

पति

पत्नी



- 4- घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, डाकखाना और ज़िला) शहर, स्ट्रीट या गली तथा मकान नम्बर

यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो, तो वहाँ का पूरा पता तथा पाकिस्तान छोड़ कर भारत में आने का दिनांक यहाँ लिखें

- 5- वर्तमान पूरा पता
- 6- पिछले पाँच वर्षों में जिन स्थानों में रहे हों, उनके पते
- 7- उम्र और जन्म दिनांक (यदि उम्मीदवार हाई स्कूल पास हो, तो हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र से उसकी उम्र लिखिये)
- 8- उम्मीदवार की शैक्षिक अर्हताएँ बताइये तथा उन स्थानों का उल्लेख कीजिये जहाँ पर 15 वर्ष की उम्र के बाद उसने शिक्षा पाई हो और यह भी लिखिये कि वह स्कूलों तथा कालेजों में कितने वर्ष पढ़ा
- 9- कार्यालय या फर्म का पूरा विवरण तथा पता, जहाँ उम्मीदवार पहले काम कर चुका हो
- 10- स्थानीय दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम या दो ऐसे व्यक्तियों के पत्र जो उम्मीदवार को जानते हों -

11- क्या उम्मीदवार कभी न्यायालय द्वारा अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है ? यदि उत्तर "हाँ" में है तो दण्ड तथा दण्डविधि I का पूर्ण विवरण दें

.....

(प्रमाण-पत्र पर उम्मीदवार हस्ताक्षर करेगा)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उपर्युक्त सूचनाएँ पूरी और सही हैं। मैं ऐसी किसी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो मेरे सरकारी कर्मचारी होने को उपयुक्तता में बाधक हो सके।

दिनांक

स्थान

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

सत्यापन पंजी (Verification Roll) पर हस्ताक्षर

करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद का नाम

(पूर्ण विवरण तथा दिनांक के साथ कार्यालय का नाम भी लिखिए)

.....

सहपत्र-2

चरित्र का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री

पुत्र को गत वर्ष माह से

जानता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी और विश्वास है, वह प्रशंसनीय चरित्र रखता है और उसकी प्रागवृत्ति (Antecedents) ऐसी नहीं है जो कि उसे राजकीय सेवा के लिये अयोग्य सिद्ध करें।

श्री

स्थान

दिनांक

मुझसे सम्बन्धित/असम्बन्धित नहीं है।

हस्ताक्षर

सहपत्र-3

राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा (Subordinate Service) में नियुक्ति के लिये विचाराधीन उम्मीदवारों की सत्यापन पूंजी (Verification Roll)

में पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवार हूँ और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निम्नांकित प्रश्न के मेरे उत्तर सही हैं :-

(अ) क्या आप पहले केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन काम कर चुके हैं :-

* (नहीं/हाँ) नीचे देखिए :-

विभाग या कार्यालय, जिसमें पहले कार्य कर चुके हों	उस पद का नाम, जिस पर नियुक्ति हुई हो	नियुक्ति की समाप्ति के कारण

(ब) क्या आपने केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया और आप नियुक्त किये गये ?

(नहीं/हाँ) नीचे देखिये :-

विभाग या कार्यालय, जिसमें नियुक्ति के लिये प्रयत्न किया गया	पद का नाम, जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया गया

मैं भलीभांति समझता हूँ कि यदि उपर्युक्त विवरण किसी अंश में असत्य सिद्ध हुआ तो मेरी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है और इसके आधार पर मुझे कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न इसका किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) आवश्यक समझें।

हस्ताक्षर

दिनांक

*जो लागू न हों, काट दें।

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी/ चिकित्सा अधीक्षक जनपद.....
पत्रांक..... दिनांक: - -2017

(HEALTH CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVICES)


See Rule 10, of Fundamental Rule

::स्वस्थता प्रमाण-पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० पुत्र/
पुत्री/पत्नी श्री जो कि पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए पद
के अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी हैं, की आज चिकित्सा जाँच..... दिनांक:
- -2017 को करायी गयी और वह केवलके अतिरिक्त पूर्णरूपेण स्वस्थ
पाये/ पायी गये/ गयीं।

मैं उपरोक्त के आधार पर उन्हें पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए पद पर
नियुक्ति/ स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त नहीं समझता। इनके कथनानुसार इनकी आयु वर्ष है
तथा देखने में इनकी आयुवर्ष है। इनके हस्ताक्षर/नि०अ० निम्न प्रमाणित हैं।

हस्ताक्षर/नि०अ० प्रमाणित



Choice of Posting Form

उक्त फॉर्म आपको तीन जनपदों में नियुक्ति हेतु विकल्प भरने के लिए दिया जा रहा है | इस फॉर्म में **Border Districts** का कॉलम दिया गया है जिसमें गृह जनपद के साथ जिन जनपदों की सीमा जुड़ती है ऐसे समस्त जनपदों का नाम अंकित किया जाना है |

Choice of posting districts कॉलम में ऐसे तीन जनपदों का नाम अंकित किया जाना है जिसमें आप नियुक्ति चाहते हैं | नियमानुसार बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में नियुक्ति नहीं हो सकती है |

S.No	Roll No.	Merit No.	Name	Mobile No.	Home District	Border Districts	Choice of posting districts		
							1	2	3

Note : यद्यपि आपके द्वारा भरे गये विकल्प के आधार पर नियुक्ति जनपद दिए जाने का प्रयास किया जाएगा | जनहित/राजकीय आवश्यकताओं के अनुसार नियुक्ति अन्यत्र किसी जनपद में भी की जा सकती है |

(अभ्यर्थी हस्ताक्षर)

Merit No :

Mobile No :

SAMPLE




UTTAR PRADESH

38AC 537262

शपथपत्र

मैं अभ्यर्थी अश्वनी तरार पुत्र श्री अनिल कुमार तरार निवासी ग्राम सिलावर मौहल्ला पट्टी तारा पोस्ट खास थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि:-

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ।
2. यह कि मैं किसी राष्ट्र विरोधी दल/संगठन का कभी सदस्य नहीं रहा हूँ और न हूँ।
3. यह कि मैंने कभी भी विध्वंसक कार्यों में भाग नहीं लिया था।
4. यह कि मेरे विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा/मामला न कभी पंजीकृत हुआ है और न ही कभी किसी ऐसे अपराधिक मामले में पुलिस ने चालान किया है तथा न ही मेरे विरुद्ध कोई विवेचना लम्बित है।
5. यह कि कभी भी मुझे अपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है और न ही मैंने कभी किसी ऐसे अपराधिक मामले में न्यायालय में आत्म समर्पण किया है।
6. यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध हुए हैं, या जिनमें मेरा चालान किया गया था, जो मेरे विरुद्ध विचाराधीन न्यायालय अथवा विवेचनाधीन पुलिस हैं उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाए।-----शून्य
7. यह कि अपराधिक मामले जो मेरे विरुद्ध न्यायालय में चले और जिनमें मैं दण्डित हुआ एवं दोषमुक्त हुआ /डिस्चार्ज हुआ उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाए।-----शून्य



Adhikari

8. यह कि मैं किसी भी अपराधिक मामले में धारा 169 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कभी रिहा नहीं हुआ हूँ अथवा जिनमें रिहा हुआ उनका विवरण निम्नवत है। यदि सूचना शून्य हो तो "शून्य" शब्द अंकित किया जाए।—
9. यह कि मुझे भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक संस्थान व अन्डरटेकिंग संस्थान द्वारा उनकी सेवा से कभी सेवामुक्त नहीं किया गया।
10. यह कि आवेदन पत्र में शैक्षिक योग्यता और जन्म तिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र एवं आयु में छूट व आरक्षण का लाभ प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाणपत्र जो मेरे द्वारा संलग्न किये गये हैं पूर्णतया सही हैं।
11. यह कि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए के पद पर नियुक्ति हेतु एक अभ्यर्थी हूँ।
12. यह कि आवेदन पत्र में उल्लिखित यदि कोई बात असत्य पाई जाये अथवा किसी तथ्य को छिपाया गया हो तो बिना शर्त सेवा से तुरन्त प्रथक कर दिया जाये तथा वैधानिक दण्ड दिया जाये जो मुझे मान्य होगा।
13. (क) यह कि मैं अविवाहित हूँ।
(ख) यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक ही जीवित पत्नी है।
14. यह कि यदि शपथ पत्र में अंकित तथ्य गलत पाये जाये तो भर्ती के लिए कोई दावा नहीं होगा और यदि भर्ती के बाद भी भविष्य में कोई तथ्य गलत पाये जाये तो भी बिना शर्त उ०प्र० पुलिस से प्रथक कर दिया जाये तथा वैधानिक दण्ड दिया जाये जो मुझे मान्य होगा।

स्थान: मेरठ

दिनांक: 21-06-2014

हस्ताक्षर.....

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथकर्ता/अभिसाक्षी सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 14 मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सही व सत्य है इसमें न कोई तथ्य छिपाया गया है और न झूठ है। ईश्वर मेरी सहायता करें।

आज दिनांक 21 जून सन् 2014 को मेरठ में अपने हस्ताक्षर बनाकर सत्यापित किया।

स्थान: मेरठ।

दिनांक 21-06-2014

हस्ताक्षर

अभिसाक्षी/शपथकर्ता

NOTED

ATTESTED

संज्ञा

पुलिस प्रपत्र सं० 92

बिसे के पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र इत्यादि के अन्वेषण का प्रपत्र

विषय

विन मॉरन

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है/कहना है कि जिस उम्मीदवार का विवरण नीचे दिया गया है, वह उत्तर प्रदेश सरकार के पुलिस विभाग में अधीक्षक और एस-ए पद पर नियुक्त होने के लिये एक उम्मीदवार है।

उम्मीदवार का विवरण

2- उपर्युक्त पद पर वास्तव में नियुक्त किये जाने के पहले उसके आचरण (Character) एवं प्राग्भूति (Antecedents) को पर्याप्त रूप से जांचना आवश्यक है अतः निवेदन यह है कि इस उम्मीदवार के आचरण एवं प्राग्भूति को दृष्टि में रखकर उपर्युक्त पद के लिये, उसकी उपयुक्तता के सम्बन्ध में निम्नांकित को अपनी सम्मति देने की कृपा करें।

3- आपकी सम्मति के अनुसार उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन राज्य मंत्री-कार्य के रूप में कार्य करने के योग्य है, तो आप अपना प्रतिवेदन सीधे हमारे पास भेज दें। यदि आपके विचार से उम्मीदवार अयोग्य है तो आप अपना प्रतिवेदन जिलाधीश के द्वारा (Through) भेजने की कृपा करें। जिलाधीश उम्मीदवार को बुलाकर उसका बयान लेंगे और तब अपना विचार उम्मीदवार के बारे में जेता धारण करेंगे, तिलेन और उम्मीदवार के बयान को भी भेजने का कष्ट करेंगे।

4- आगे यह भी निवेदन है कि सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के आचरण के सम्बन्ध में निम्नांकित सामान्य नियम पर भी ध्यान दिया जाय।

सीधी नियुक्ति के लिये उम्मीदवार का आचरण ऐसा होना चाहिये कि वह उस नौकरी या पद के लिये, जिस पर उसे नियुक्त करना है, सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी का यह कर्तव्य होना कि वह इस सम्बन्ध में अपने आपको सन्तुष्ट करे।

नोट :- (क) केवल सिद्धयोग्य उद्देश्य के कारण ही अच्छे आचरण का प्रमाण-पत्र देने से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। दोषादि की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना चाहिये और यदि उम्मीदवार नैतिक दुराचार या हिंसात्मक अपराध या ऐसे आन्दोलन में भाग लेने का दोषी न ठहराया गया हो, जिसका उद्देश्य स्वतन्त्र भारत में अब कानून द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक उपायों द्वारा उखाड़ना हो तो केवल दोषादि को अयोग्यता समझना आवश्यक नहीं है।

(ख) केवल राजनीतिक विचारों के ही कारण कोई भी व्यक्ति नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त नहीं समझा जाना चाहिये, किन्तु ऐसे व्यक्तियों को जिनके बारे में यह सम्भव हो कि वे सफल हो सकते हैं अथवा अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं, नियुक्त नहीं करना चाहिये। सामान्यतया वे व्यक्ति, जो निम्नलिखित कार्यों में सक्रिय भाग ले रहे हों या ऐसी किसी संस्था के सदस्य हों, जिसके स्पष्ट उद्देश्य हिंसात्मक उपायों से समाज की वर्तमान अवस्था को बदलना हो, सरकार के अधीन किसी भी नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त समझे जायें। 21 वर्ष की उम्र के बाद किसी भी समय अथवा जोय प्रारम्भ होने के तीन वर्ष के भीतर उच्चतम कार्य में भाग लेना इस बात का प्रमाण होगा कि वह व्यक्ति उच्चतम कार्यों में अभी भी सक्रिय भाग ले रहा है। सिवाय उस घटा में जबकि इस बीच उसकी नियुक्ति को परिवर्तन होने के स्पष्ट प्रमाण न हो।

5- उत्तरदायी अधिकारी को चाहिये कि वह यह जानने के लिये संलग्न सहायक-1 के सभी रिक्त स्थानों को ठीक-ठीक भरा गया है या नहीं प्राचीन से उचित प्रश्न करें क्योंकि इसमें किसी प्रकार की भूल से विलम्ब तथा पहचान में गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है।

जौंच करने वाले अधिकारी (Enquiry officer) को अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये कि उम्मीदवार की पहचान हो गई है और उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है।

6- कृपया उत्तर संलग्न प्रपत्र में भर कर भेजिये।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

जयपुर (राज्य)

(प्रदीप कुमार यादव)
पुलिस अधीक्षक, सहायक निदेशक,
जयपुर पुलिस कम्प्यूटर केंद्र,
लखनऊ।

SHO लखनऊ

GVR=512/14

SHO
12/11/14

OBN=84
BT
84
BT

संज्ञा
संज्ञा/संज्ञा

2

संज्ञा में

प्रिय महोदय,

आपके पत्र संख्या दिनांक के सम्बन्ध में निम्नलिखित
सम्मीदवार के आचरण एवं प्रागवृत्ति के विषय में अपना प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत करता हूँ :-

1. सम्मीदवार का नाम
2. पिता का नाम

प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सम्मीदवार का नैतिक आचरण अच्छा है और उसके विरुद्ध ऐसी
कोई शिकायत नहीं है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन रूप में नियुक्त
किये जाने के लिए अनुपयुक्त या अयोग्य ठहराया जा सके

अथवा

में निम्नांकित सम्मीदवार को उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन के लिए
नियुक्त किये जाने के अयोग्य/अनुपयुक्त समझता हूँ।

कृपया कारण विस्तारपूर्वक तथा संप्राप्तगित द्योतों के साथ दें।

भवदीय

जिलाधीश के विचार

में पुलिस अधीक्षक की सम्मति से सहमत/असहमत हूँ।
सम्मीदवार के बयान के प्रतिलिपि संलग्न है।

पुलिस अधीक्षक।

दिनांक

भवदीय

जिलाधीश,

जिला

संलग्न

सहपत्र-1

सत्यापन पंजी (Verification Roll) का पत्र

अभ्यर्थियों के विषय में नियुक्ति अधिकारी द्वारा जाँच करने वाले अधिकारी के पास भेजा जाने वाला

विवरण-प्रपत्र

1. पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो अश्वनी तरार

2. पिता का पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो, और पद का नाम, किसी नौकरी में हो

अजिता कुमार तरार, MCP उत्तर प्रदेश पुलिस

3. निम्नांकित की राष्ट्रियता :-

पिता भारतीय

माता भारतीय


पति

पत्नी

निम्नांकित का जन्म-स्थान :-

पति

पत्नी



4. घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, थाना, डाकखाना और जिला) शहर, स्ट्रीट या गली तथा मकान नम्बर मकान नं०- 6/364 नई बस्ती थाना पड़ी चौधरान डाकखाना- बडौत पिन-250611

यदि पाकिस्तान का मूल निवासी हो, तो वहाँ का पूरा पता तथा पाकिस्तान छोड़ कर भारत में आने का दिनांक यहाँ लिखें

X

5. वर्तमान पूरा पता ग्राम- सिलावर पल्ली तरार थाना आदर्श मण्डी ग्रामली जनपद-शामली पिन-247716

6. पिछले पाँच वर्षों में जिन स्थानों में रहे हों, उनके पते C/O गौरव चौधरान के० वी०-1 बवावर नं०-09 रथर प्राई स्टेशन सि० इन जिला-गाजीपाना थाना सारिवावर पिन-201004

7. उम्र और जन्म दिनांक (यदि उम्मीदवार हाई स्कूल पास हो, तो हाई स्कूल के प्रमाण-पत्र से उसकी उम्र लिखिये) 28 वर्ष 10 माह 25-08-85

8. उम्मीदवार की शैक्षिक अर्हताएँ बताइये तथा उन स्थानों का उल्लेख कीजिये जहाँ पर 15 वर्ष की उम्र के बाद उसने शिक्षा पाई हो और यह भी लिखिये कि वह स्कूलों तथा कालेजों में कितने वर्ष पढ़ा 10th-2001 (वीर स्मारक इंटर कालेज बडौत)-1 वर्ष 12th-2003 (वीर स्मारक इंटर कालेज बडौत)-2 वर्ष 'O' level-2009 (NSIC-नई दिल्ली)-1 वर्ष

9. कार्यालय या फर्म का पूरा विवरण तथा पता, जहाँ उम्मीदवार पहले काम कर चुका हो नही

10. स्थानीय दो उत्तरदायी व्यक्तियों के नाम या दो ऐसे व्यक्तियों के पत्र जो उम्मीदवार को जानते हों -

आमपाल सिंह S/O साधु राम 6/367 नई बस्ती पड़ी चौधरान बडौत जिला गाजपत-250611

अनिल कुमार S/O सुकरेश कुमार 6/368 नई बस्ती पड़ी चौधरान बडौत जिला गाजपत-250611

11- क्या उम्मीदवार कभी न्यायालय द्वारा अपराध में सिद्धदोष ठहराया गया है ? यदि उत्तर "हाँ" में है तो दण्ड तथा दण्डविधि का पूर्ण विवरण दे

नहीं

Ashwani Prasad

(प्रमाण-पत्र पर उम्मीदवार हस्ताक्षर करेगा)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, उपर्युक्त सूचनाएँ पूरी और सही हैं। मैं ऐसी किसी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो मेरे सरकारी कर्मचारी होने को उपयुक्तता में बाधक हो सके।

दिनांक 24-06-14

स्थान लखनऊ

Ashwani Prasad

उम्मीदवार का हस्ताक्षर

दिनांक

सत्यापन पंजी (Verification Roll) पर हस्ताक्षर

स्थान

करने वाले पदाधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद का नाम

(पूर्ण विवरण तथा दिनांक के साथ कार्यालय का नाम भी लिखिए)

सहपत्र-2

चरित्र का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री

पुत्र को गत वर्ष माह से

जानता हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी और विश्वास है, वह प्रशंसनीय चरित्र रखता है और उसकी प्रागवृत्ति (Antecedents) ऐसी नहीं है जो कि उसे राजकीय सेवा के लिये अयोग्य सिद्ध करें।


श्री

मुझसे सम्बन्धित/असम्बन्धित नहीं है।

स्थान

हस्ताक्षर

दिनांक



सहपत्र-3

राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा (Subordinate Service) में नियुक्ति के लिये विचाराधीन उम्मीदवारों की सत्यापन पूंजी (Verification Roll)

म. पु. ले. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड - A पद पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवार हूँ और एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि निम्नांकित प्रश्न के मेरे उत्तर सही हैं :-

(अ) क्या आप पहले केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के आधीन काम कर चुके हैं :-

* (नहीं/हाँ) नीचे देखिए :- नहीं

विभाग या कार्यालय, जिसमें पहले कार्य कर चुके हों	उस पद का नाम, जिस पर नियुक्ति हुई हो	नियुक्ति की समाप्ति के कारण
X		X

(ब) क्या आपने केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिये आवेदन-पत्र दिया और आप नियुक्त किये गये ?

(नहीं/हाँ) नीचे देखिये :- नहीं

विभाग या कार्यालय, जिसमें नियुक्ति के लिये प्रयत्न किया गया	पद का नाम, जिसके लिये आवेदन-पत्र दिया गया
X	X

मैं भलीभांति समझता हूँ कि यदि उपर्युक्त विवरण किसी अंश में असत्य सिद्ध हुआ तो मेरी नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है और इसके आधार पर मुझे कोई प्रतिकर पाने का अधिकार न होगा और न इसका किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिसे सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) आवश्यक समझे।

हस्ताक्षर Akwantra
दिनांक 24-06-14

* जो लागू न हों, काट दें।

पौ०र०स०यू०पी०-ए०पी० 039 पुलिस-24-3-91-(3738)-1991-25.000 (हि०)।

218

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक जनपद मेरठ
पत्रांक: 03/e.M.O./me/14 दिनांक: 16/07/2014

(HEALTH CERTIFICATE FOR GOVERNMENT SERVICES)

See Rule 10, of Fundamental Rule

::स्वस्थता प्रमाण-पत्र::

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० दुर्गेश अशोक पुत्र/
पुत्री/पत्नी श्री हेमलता सिंह जो कि पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए
पद के अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी हैं, की आज चिकित्सा जाँच
दिनांक: 16/07/2014 को करायी गयी और वह केवल me के अतिरिक्त
पूर्णरूपेण स्वस्थ पाये/ पायी गये/ गयीं।

मैं उपरोक्त के आधार पर उन्हें पुलिस विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए पद
पर नियुक्ति/ स्थायीकरण हेतु अनुपयुक्त नहीं समझता। इनके कथनानुसार इनकी आयु 30
वर्ष है तथा देखने में इनकी आयु 30 वर्ष है। इनके हस्ताक्षर/नि०अ० निम्न
प्रमाणित हैं।

Durgesh wadga
हस्ताक्षर/नि०अ० प्रमाणित



डॉ० ए० पी० सिंह
चिकित्सा अधिकारी
मेरठ

डॉ० ए० पी० सिंह
को मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ

डॉ० ए० पी० सिंह
को मुख्य चिकित्सा अधिकारी
मेरठ